

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/

दिनांक :/04/2017

—: आदेश :-

निदेशालय के संशोधित आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.04.17 के द्वारा क्रम संख्या 01 पर अंकित डा0 गिरीश चन्द बनिया, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग) के आदेश को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है तथा डा0 बनिया पूर्व की भांति अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे।

फलस्वरूप डा0 जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग), जिला चिकित्सालय चूरु को अग्रिम आदेशों तक राजकीय जेल डिस्पेंसरी बीकानेर में कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/ 112

दिनांक :/04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रण, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
5. अधीक्षक, राजकीय जेल डिस्पेंसरी, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सक को कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत करावे।
8. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावे।
10. निजि/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।